राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप / जय / AS&FE / F.39 CRC Grant दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1230 दिनांकः– 28/5/2024

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) दिशा निर्देश 2024–25

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024–25 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह–शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

कन्टेजेन्सी	मीटिंग एवं टीए	टी0एल0एम0	फर्नीचर व कम्प्यूटर	योग
30,000/-	10,000/-	10,000/-	30,000/-	**80,000/-**

समग्र शिक्षा अन्तर्गत सत्र 2024–25 में 10259 सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं –

1. **कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट** से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
   - **पीईईओ / यूसीईईओ को उपलब्ध करवाई जा रही राशि में से 15,000/– रूपये पीईईओ / यूसीईईओ सहित अधीनस्थ विद्यालयों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम पर आवश्यकतानुसार उपयोग लिए जाने है। वृक्षों की देखरेख इनसे जुड़ाव के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों को कम से कम एक वृक्ष गोद लेने हेतु पाबन्द करें। वृक्षारोपण व इससे जुडे कार्यों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी है। वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों के लिए यूथ व ईको क्लब में भी पृथक से निर्देशित किया गया है।**
2. **मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस** द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर प्रतिमाह एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाए। बैठक में उपस्थित होने वाले अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।
3. **टीएलएम ग्रान्ट** से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर आवश्यक रूप से न्यूनतम दो कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।

RajKaj Ref
7408954

4. **<u>फर्नीचर व कम्प्यूटर</u>** – सीआरसी विद्यालय के संस्था–प्रधान द्वारा अपने कार्यालय में फर्नीचर व कम्प्यूटर के उपयोग हेतु राशि का व्यय किया जाना है। फर्नीचर व कम्प्यूटर की राशि का उपयोग बाजार के वास्तविक मूल्य में ही किया जाए। सामग्री क्रय में प्रतिष्ठित कम्पनियों को वरीयता दी जाए। राशि उपयोग में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति बनाई जाए–

(1) संस्थाप्रधान	**–**	**अध्यक्ष**
(2) एसएमसी/एसडीएमसी	**–**	**2 सदस्य**
(3) लेखाकार्मिक	**–**	**1 सदस्य**

5. अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ **<u>विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य</u>** – कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना। मीड–डे मील की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना। एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा/ मानीटरिंग करना। सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्य–योजना बनवाकर क्रियान्वयन करना।

(B) मॉनीटरिंग –

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2024–25 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।
3. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से 15 फरवरी तक
40%	30%	30%

4. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(C) राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश –

1. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि अति0 जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
2. परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
3. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः **क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।**
4. मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
5. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र–1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र–2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र–3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
6. जिला/ब्लॉक/संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref
7408954

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रपत्र –1

ब्लॉक .... जिला ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में प्राप्त संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) राशि रू. .... का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि....................... है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
प्रभारी सीआरसी

प्रपत्र –2

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC .... को सत्र 2024–25 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/सीबीईओ

RajKaj Ref
7408954

प्रपत्र –3

जिला ....

जिला स्तरीय संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024–25 में **संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान** मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... सीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर **सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी**	**हस्ताक्षर** **सहायक लेखाधिकारी**
हस्ताक्षर **अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक**	**हस्ताक्षर** **जिला परियोजना समन्वयक**

RajKaj Ref
7408954

CRCs Grant वित्तीय वर्ष 2024–25

Academic support through Cluster Resource Center Budget 2024-25										
S.No.	District	Contingency Grant @ 0.30 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.10 (Rs. in lacs)		TLM @0.10 (Rs. in lacs)		Furniture & Computer @0.30 (Rs. in lac)		Total Financial Recurring in lac
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	AJMER	303	90.9000	303	30.3000	303	30.3000	303	90.9000	242.4000
2	ALWAR	527	158.1000	527	52.7000	527	52.7000	527	158.1000	421.6000
3	BANSWARA	350	105.0000	350	35.0000	350	35.0000	350	105.0000	280.0000
4	BARAN	227	68.1000	227	22.7000	227	22.7000	227	68.1000	181.6000
5	BARMER	494	148.2000	494	49.4000	494	49.4000	494	148.2000	395.2000
6	BHARATPUR	388	116.4000	388	38.8000	388	38.8000	388	116.4000	310.4000
7	BHILWARA	399	119.7000	399	39.9000	399	39.9000	399	119.7000	319.2000
8	BIKANER	303	90.9000	303	30.3000	303	30.3000	303	90.9000	242.4000
9	BUNDI	193	57.9000	193	19.3000	193	19.3000	193	57.9000	154.4000
10	CHITTAURGARH	299	89.7000	299	29.9000	299	29.9000	299	89.7000	239.2000
11	CHURU	268	80.4000	268	26.8000	268	26.8000	268	80.4000	214.4000
12	DAUSA	239	71.7000	239	23.9000	239	23.9000	239	71.7000	191.2000
13	DHAULPUR	176	52.8000	176	17.6000	176	17.6000	176	52.8000	140.8000
14	DUNGARPUR	296	88.8000	296	29.6000	296	29.6000	296	88.8000	236.8000
15	GANGANAGAR	348	104.4000	348	34.8000	348	34.8000	348	104.4000	278.4000
16	HANUMANGARH	260	78.0000	260	26.0000	260	26.0000	260	78.0000	208.0000
17	JAIPUR	583	174.9000	583	58.3000	583	58.3000	583	174.9000	466.4000
18	JAISALMER	144	43.2000	144	14.4000	144	14.4000	144	43.2000	115.2000
19	JALOR	280	84.0000	280	28.0000	280	28.0000	280	84.0000	224.0000
20	JHALAWAR	259	77.7000	259	25.9000	259	25.9000	259	77.7000	207.2000
21	JHUNJHUNU	313	93.9000	313	31.3000	313	31.3000	313	93.9000	250.4000
22	JODHPUR	488	146.4000	488	48.8000	488	48.8000	488	146.4000	390.4000
23	KARAULI	233	69.9000	233	23.3000	233	23.3000	233	69.9000	186.4000
24	KOTA	175	52.5000	175	17.5000	175	17.5000	175	52.5000	140.0000
25	NAGAUR	479	143.7000	479	47.9000	479	47.9000	479	143.7000	383.2000
26	PALI	335	100.5000	335	33.5000	335	33.5000	335	100.5000	268.0000
27	PRATAPGARH	168	50.4000	168	16.8000	168	16.8000	168	50.4000	134.4000
28	RAJSAMAND	213	63.9000	213	21.3000	213	21.3000	213	63.9000	170.4000
29	SAWAI MADHOPUR	203	60.9000	203	20.3000	203	20.3000	203	60.9000	162.4000
30	SIKAR	353	105.9000	353	35.3000	353	35.3000	353	105.9000	282.4000
31	SIROHI	168	50.4000	168	16.8000	168	16.8000	168	50.4000	134.4000
32	TONK	239	71.7000	239	23.9000	239	23.9000	239	71.7000	191.2000
33	UDAIPUR	556	166.8000	556	55.6000	556	55.6000	556	166.8000	444.8000
	TOTAL	10259	3077.7000	10259	1025.9000	10259	1025.9000	10259	3077.7000	8207.2000

(कृष्ण कुणाल)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः रास्कूशिप / जय / AS&FE / CRC Grant/2024–25 / 1230 दिनांकः 28/5/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि राशि का शतप्रतिशत उपयोग लिए जाने हेतु संस्थाप्रधानों को पाबन्द करने का श्रम करें।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5- निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
6- समस्त उपायुक्त / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद, जयपुर।
7- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
10- समस्त पीईईओ एवं शहरी यूसीईईओ (सीआरसी)।
11- रक्षित प्रति।

RajKaj Ref
7408954

Document certified by KRISHNA KUNAL
<secy.schooleducation@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Krishna Kunal
Designation : State Project Director
Date :27-05-2024 04:48:39